न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 39/2016

गुरचरण सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति जटसिख निवासी 76 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जरिये मु.आम निन्दर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 76 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. अवतार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 76 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर —रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त.अधि. अधि. 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 28.01.2016

उपस्थिति :–

श्री सोहनलाल जोशी अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजय धारणिया, अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक: 12.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के दादा हजारासिंह के नाम चक 76 आर.बी. के प.नं. 241/261 मु.नं. 41 में 4.427है0 भूमि थी एवं इसी चक में मु.नं. 15 में 12 बीघा भूमि दीदारसिंह के नाम से थी जो प्रार्थी के पिता की पुश्तैनी जमीन है। इसी प्रकार मु.नं. 18, 19, 24 की 3.605है0 भूमि थी। उक्त समस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की हिन्दु परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है। प्रार्थी के दादा का देहान्त हो चुका है। इसलिए विरासतन प्रार्थी एवं अप्रार्थी तथा प्रार्थी के भाईयों का बनता है। पक्षकारों के मध्य चरू बंटवारा हो चुका है जिस पर वह काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा बनता है जो अप्रार्थी प्रार्थी को देना नहीं चाहते एवं भूमि को आगे बेचान करना चाहते है। यदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प: रायसिंहनगर

ऐसा करने में वह सफल हो गये तो प्रार्थीया के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक कुल 3.605है0 भूमि में प्रार्थी के 1/7 हिस्सा की भूमि के अलावा उक्त वर्णित तमाम भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 28.01.2016 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक पुष्ट कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति नही है। रेस्पो. को उससे अधिक हिस्से की भूमि दी जा चुकी है। रेस्पो. का इस भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि पैतृक है। घरू बंटवारा के अनुसार 1/7 हिस्सा पर रेस्पो. का कब्जा चला आ रहा है। अधी. न्यायालय ने 1/7 हिस्से तक जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि बाबत पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद है। अधी. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया 1/7 हिस्से की सीमा तक मामला रेस्पो. के पक्ष में मानते हुए प्रा.पत्र स्वीकार किया है। रेस्पो. का 1/7 हिस्सा बनता है या नहीं, विवादित भूमि पैतृक है या नहीं विवादित भूमि में रेस्पो. को हिस्सा दिया जा चुका है या नही। इन सभी बिन्दुओं का निर्णय अधी. न्यायालय द्वारा वाद में साक्ष्य आदि आने के पश्चात गुणावुण पर किया जाएगा। अधी. न्यायालय ने यह माना है कि विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible]

है एवं भूमि के अन्तरण होने की सम्भावना है। अधी. न्यायालय ने इस दृष्टि से प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत से ये सभी तीनों बिन्दु प्रार्थी/रेस्पों. के पक्ष में मानकर अप्रार्थी/अपीलांट को अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय के विनम्र मत में भी उपर किये गये विवेचन के अनुसार वाद के निर्णय से पूर्व यदि भूमि का किसी प्रकार से हस्तांतरण हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भावना रहेगी। इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अधी. न्यायालय ने प्रा. पत्र स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर